By Speed Post

भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. Tour Report/1/VC(UP)/2019/RU-I

Dated: ~~23~~/08/2019
26

To,

1. The District Magistrate,
   District -- Gorakhpur,
   (Uttar Pradesh).
2. The District Magistrate,
   District – Basti,
   (Uttar Pradesh).
3. The District Magistrate,
   District – Maharajganj,
   (Uttar Pradesh)
4. The District Magistrate,
   District- Deoria,
   (Uttar Pradesh)
5. The District Magistrate,
   District – Siddharthnagar,
   (Uttar Pradesh).

Sub: माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनाक 23.06.2019 से 25.06.2019 तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की दौरा रिपोर्ट।

महोदय,

सुश्री अनुसुइया उइके माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनाक 23.06.2019 से 25.06.2019 तक उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर तथा देवरिया जिलों का दौरा किया गया, रिपोर्ट संलग्न है । आपसे अनुरोध है कि दौरा रिपोर्ट की अनुसंशाओं पर की गई/ की जाने वाली कार्यवाही से आयोग को पत्र प्राप्त होने के, तीस दिन के अंदर सूचना भेजने का कष्ट करे।

भवदीय,

(Rajeshwar Kumar/ राजेश्वर कुमार)
Assistant Director/ सहायक निदेशक
Tel: 011-24641640.

Copy for necessary action to:

The Chief Secretary,
Govt. of Uttar Pradesh,
Lucknow

Copy to:

1. PS to Hon'ble VC, NCST
2. NIC (for hosting on Commission website)
3. AD (Coord), NCST

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार

सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष

प्रवास प्रतिवेदन

23 जून 2019 से 25 जून 2019 गोरखपुर एवं देवरिया, उत्तरप्रदेश

- : : TOUR REPORT : : -

1. दौरा करने वाले पदाधिकारियों के नाम	**सुश्री अनुसुईया उइके** **उपाध्यक्ष** **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार** **डॉ. ललित कुमार लट्टा** **निदेशक** **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,** भारत सरकार, नई दिल्ली (मुख्यालय) **श्री जितेन्द्र कुमार सोलंकी** उपाध्यक्ष के सहायक निज सचिव राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार
2. दौरा की तिथि, दिन, दिनाँक, वर्ष	**दिनाँक 23 जून 2019** **से** **दिनाँक 25 जून 2019 तक**
3. दौरा किये गये स्थान	**गोरखपुर एवं देवरिया (उत्तर प्रदेश)**
4. मुख्य व्यक्ति / अधिकारीगण एवं जिन संगठनों से मिले –	**निम्नानुसार**

1)	A. **सर्वश्री सुआल प्रसाद गोंड, प्रोफेसर शोभागोंड, मदनमोहन प्रसाद, दुर्गाप्रसाद गोंड, मुंशीप्रसाद गोंड, रामअवधप्रसाद गोंड,, ओमप्रसाद गोंड, गोपाल गोंड, कृष्णकुमार गोंड, रमेशचन्द्र गोंड, योगेन्द्र प्रसाद, राजमंगल गोंड, पिन्टू गोंड, सुभाष गोंड, उमाशंकर गोंड, सतीशचन्द्र, हीरालाल, शिवशंकर गोंड, रामकेश गोंड, इन्द्रजीत गोंड, ओमप्रकाश गोंड, श्रीमती पतासीदेवी, श्रीमती रमा गोंड, श्रीमती प्रीति गोंड, राजन नायक, राजीव रायक, विनोद नायक, विजयकुमार नायक, इन्द्रजीत प्रसाद गोंड, श्री अरूण कुमार गोंड, कालचंद गोंड, शिवनाथ गोड, दरोगा गोंड,** B. **सर्वश्री रामविलास आर्य गोंड, बैजनाथ गोंड, जयनंद गोंड, राजकुमार गोंड, गिरिजेश गोंड, विनयकुमार गोंड, (जिला पंचायत अध्यक्ष) गुड्डन कुशवाहा (सांसद प्रतिनिधि) रामधनी गोंड, राधेश्याम गोंड, डॉ.बिरजन गोंड, शिवजी गोंड, हृदयानंद गोंड, राजेश शाह, फेकूप्रसाद गोंड, श्रीमती कलावती देवी, जयनन्द प्रसाद गोंड, पप्पू गोंड,**

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

	श्रीमती रमिता देवी, श्रीमती प्रभावती देवी, लक्ष्मणप्रसाद गोंड, लालजी गोंड, वीर बहादुर गोंड, प्रेमकुमार गोंड, रामधुरी गोंड, उमेश कुमार, शशिकपूर गोंड, विजय प्रताप गोंड, नकछेद गोंड, रमाशंकर गोंड, रामाश्रय गोंड, मदनकुमार गोंड, विशाल कुमार गोंड, व्यासमुनी गोंड, सूर्यदेव गोंड, प्रभुनाथ गोंड। C. **गोरखपुर एवं देवरिया में आयोजित कार्यक्रमों में आसपास के जिलों से आए हुए करीब 1000–1000 जनजाति प्रतिनिधि एवं आमजन उपस्थित हुए।** D. **प्रशासनिक अधिकारी श्री के.विजयेन्द्र पांडियन, कलेक्टर गोरखपुर, श्री दीपक मीणा, कलेक्टर, सिद्धार्थ नगर, श्री अमित किशोर, कलेक्टर देवरिया, समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर, देवरिया, अतिरिक्त कलेक्टर, देवरिया, विभिन्न तहसीलों के तहसीलदार, पुलिस अधीक्षक गोरखपुर एवं देवरिया तथा अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी।**

5. **<u>दौरे के मुख्य बिन्दु</u>**

A. प्रादेशिक गोंड समाज महासभा गोरखपुर उत्तप्रदेश द्वारा आयोजित अभिनंदन एवं सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता।

B. भारतवर्षीय गोंड आदिवासी महासभा, देवरिया, उत्तरप्रदेश द्वारा आयोजित दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता।

C. देवरिया में दुर्गावती बलिदान दिवस पर आयोजित वाहन/पैदल रैली का हरीझंडी दिखाकर शुभारंभ एवं सहभागिता।

D. देवरिया जिला कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, समाज कल्याण अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों एवं अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक।

E. गोरखपुर में जिला कलेक्टरों गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, महाराजगंज, समाज कल्याण अधिकारी, अतिरिक्त कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों के साथ बैठक।

F. विभिन्न सामाजिक संगठनों, जनजाति प्रतिनिधियों एवं आमजनों से भेंट कर उनके सुझाव एवं समस्याओं को सुना गया।

G. दोनों ही आयोजनों में उद्बोधन के माध्यम से आयोग की गतिविधियों, जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों के संबंध में सूचना देकर जागरूक किया गया।

<u>दिनाँक 23 जून 2019 गोरखपुर उत्तरप्रदेश</u>

1. विश्राम भवन, गोरखपुर में धूरिया, गोंड, नायक समाज के व्यक्तियों के प्रतिनिधि मंडल एवं अन्य आमजनों द्वारा प्रथक-प्रथक मुलाकात कर अपनी-अपनी जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलने, लेखपालों, तहसीलदारों द्वारा अनावश्यक अड़ंगे लगाने, बने हुए प्रमाणपत्र निरस्त करने जैसी समस्याओं से अवगत कराया गया और निराकरण का अनुरोध किया।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(गोरखपुर उत्तरप्रदेश में जनजाति प्रतिनिधियों एवं आमजनों के साथ मुलाकात करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ.)

1. प्रादेशिक गोंड समाज महासभा, गोरखपुर उत्तरप्रदेश द्वारा आयोजित अभिनंदन एवं सम्मान समारोह में आयोजकों द्वारा आत्मीय औपचारिक स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस कार्यक्रम में आसपास के जिलों से उपस्थित हुए हजारों की संख्या में जनजाति सदस्य एवं उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे।
2. कार्यक्रम में जनजाति समाज के प्रतिनिधि ने अपने अपने उदबोधन में जनजाति समाज की समस्याओं से अवगत कराते हुए उनका समाधान कराने का अनुरोध किया गया। प्रमुख रुप से जो तथ्य स्पष्ट हुए वे संक्षिप्त में इस प्रकार से हैं :-
   - A. श्री मुंशी प्रसाद गोंड- जनजातियों की कल्याणकारी योजनाओं के लिये प्राप्त होने वाला बजट आवंटन व्यय नहीं किया जाता है और वापिस हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए।
   - B. श्री राजनंदन गोंड - महाराजगंज में वर्षो से जनजाति सदस्य होने के प्रमाण उपलब्ध है किन्तु अधिकारियों द्वारा कहा जाता है कि इस जिले में जनजाति सदस्य हैं ही नहीं। समाज को न्याय दिलाया जाए।
   - C. यह भी बताया कि एक बार गोंड जनजाति का प्रमाणपत्र बना है किन्तु अब अधिकारी प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं। जबकि उत्तरप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाणपत्र निर्गत करने के निर्देश जारी किये गये हैं। अधिकारी शासनादेशों की पालना नहीं कर रहे हैं।
   - D. केवल गोंड जनजाति के सदस्यों से प्रमाण पत्र आवेदन करने पर खतौनी मांगी जाती है अन्यों के प्रमाणपत्र बिना किसी दस्तावेज के जारी किये जा रहे है।
   - E. किसी परिवार के एक सदस्य को प्रमाण पत्र जारी है उसी परिवार के दूसरे सदस्यों के प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जा रहे हैं।
   - F. श्री उमाशंकर गोंड- गोंड समाज की धूरिया जनजाति को दो चार जनपदों में छोड़कर प्रमाणपत्र जारी नहीं किये जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 80 प्रतिशत धूरिया है। जिला प्रशासन कहता है कि जिलें में जनजाति सदस्य नहीं है जबकि 1891 के शासकीय अभिलेखों में धूरिया और जनजाति परिवार होने का उल्लेख किया गया। जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिये स्थलीय जॉंच का प्रावधान है जिसका पालन प्रशासन नहीं कर रहा है किया जाना चाहिए।
   - G. अन्य प्रमुख जनजाति प्रतिनिधियों ने तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर अपनी अपनी समस्या प्रस्तुत करते हुए उनका निराकरण कराने का अनुरोध किया गया।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(गोरखपुर उत्तरप्रदेश में जनजाति प्रतिनिधियों एवं आमजनों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ)

3. मेरे द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित व्यक्तियों से मुलाकात कर जनजाति कल्याण के लिये उनके सुझाव एवं समस्याओं को सुना गया।
4. मैंने अपने उदबोधन में कहा कि अनुसूचित जनजाति आयोग का देश के जनजाति समुदाय के संरक्षण के लिये गठन संवैधानिक प्रावधन के तहत किया गया है। संविधान द्वारा आयोग को न्यायालय के अधिकार प्रदान किये गये हैं और यदि अधिकारी निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो वारंट तक जारी करने का अधिकार है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन के उद्देश्य, संवैधानिक प्रावधान, आयोग के कार्य करने की कार्यप्रणाली, भारतीय संविधान में एवं भारत सरकार द्वारा जनजाति समाज के संरक्षण और उनके उत्थान के लिये किये गये प्रावधान, जनजाति समाज के लिये बनाए गए एक्ट, नियम कानून इत्यादि की जानकारी उपस्थित जन समुदाय को विस्तार से प्रदान की गई।
5. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की कार्यप्रणाली तथा जो प्रकरण आयोग को अपीलों के माध्यम से प्राप्त हुए और सुनवाई में तथा प्रवास के समय संबंधित अधिकारियों को दिये गये निर्देशों व अनुशंसाओं के परिणामस्वरूप सफल रहे ऐसे प्रकरणों के उदाहरण प्रस्तुत कर सभी उपस्थित जनजाति प्रतिनिधियों को जागरूक करने का प्रयास किया गया।
6. मैंने आगे कहा कि आयोग से आपको न्याय और संरक्षण की अपेक्षा है किन्तु अपेक्षाएँ पूरी करने के लिये आपको भी जागरूक और एक होकर आगे आना होगा। सभी जनजाति वर्ग के व्यक्ति आपसी भेदभाव मिटाकर अपनी परंपरा के अनुसार मान सम्मान और स्वाभिमान से जीवन जिये जैसा कि हमारे पूर्वजों की महान गौरवशाली परंपरा रही है। अमीरी-गरीबी, जात-पांत से आदमी बड़ा नहीं होता है, मानव केवल कर्म से बड़ा होता है। इसलिये जनजाति समाज हीनभावना को त्याग कर आगे आकर स्वाभिमान से जियें।
7. अध्यक्ष, प्रदेशिक गोंड समाज महासभा उत्त्रप्रदेश एवं जनजाति प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन एवं अन्य माध्यम से जो तथ्य प्रस्तुत किये उसके अनुसार – जनपदीय जाति प्रमाणपत्र सत्यापन समिति महराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर द्वारा सुनवाई कर जनपद में निवासरत गोंड जाति की उपजाति धुरिया को गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र जारी

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

करने और इस जाति को पिछड़े वर्ग कहार का तहसीलदारों द्वारा जारी गलत प्रमाणपत्र को निरस्त / वापस लेने का निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है जिसमें तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं। ज्ञापन की प्रति परिशिष्ठ अ में संलग्न है।

दिनाँक 24 जून 2019 देवरिया उत्तरप्रदेश

8. विश्राम भवन देवरिया पहुँचने पर जनजाति समुदाय एवं आमजनों ने भेंट कर अपनी समस्याओं एवं सुझाव प्रस्तुत किये, जिसके अनुसार जिले में भी पात्र जनजाति के सदस्यों को जनजाति का प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ता है।
9. जनजाति वीर शिरोमणी रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर उनके द्वारा जनजाति समाज के लिये किये गये कार्यो को स्मरण करने के लिये जागरूकता हेतु एक रैली का आयोजन भारतवर्षीय गोंड आदिवासी महासभा देवरिया के तत्वाधान में किया गया था जिसे झंडी दिखाकर प्रारंभ कराया गया और इसमें सहभागिता की गई।

(देवरिया उत्तरप्रदेश में रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर आयोजित रैली में सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ)

10. रैली के समापन अवसर पर स्थानीय टाउनहाल प्रांगण देवरिया में मंचीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें रानी दुर्गावती जी को श्रद्धाँजलि अर्पित कर उनके द्वारा किये गये कार्यो को स्मरण किया गया।
11. जनजाति प्रतिनिधियों ने सभा को संबोधित करते हुए जनजाति समाज की समस्याओं से अवगत कराया गया जिसके अनुसार :-
    a. जिले के अधिकारी कर्मचारी कार्य नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से जनजाति समुदाय के सदस्यों के प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे हैं।
    b. प्रमाणपत्र जारी करने के लिये अनावश्यक दस्तावेजों की माँग की जा रही है।
    c. बिना किसी उपयुक्त कारण के जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र निरस्त किये जा रहे है।
    d. अधिकारी कहते हैं कि इस जिले में जनजाति सदस्य नहीं रहते हैं जबकि शासकीय अभिलेखों

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

में वर्ष 1891 से जिले में जनजातियों के निवास के प्रमाण उपलब्ध हैं।

e. उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के संरक्षण के लिये दोनों वर्ग के लिये अलग-अलग आयोगों का गठन किया जाये।

12. भारतवर्षीय गोंड आदिवासी महासभा उत्तरप्रदेश जिला देवरिया द्वारा एक ग्यारह सूत्रीय ज्ञापन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार :-

a) वर्ष 2002 में भारत सरकार के अधिनियम के अंतर्गत उत्तरप्रदेश में अनुसूचित जातियों की सूची से 10 जातियों गोंड (गोंड की उपजाति गोंड,धूरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड) खरवार, खैरवार, सहरिया, परहिया, बैगा, पंखा, पनिका, अगरिया, पटारी, चेरो, भुईया, भूनिया) को कुछ जनपदों में जैसे देवरिया को अनुसूचित जनजाति में तथा कुशीनगर को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया गया। पूरे उत्तप्रदेश में उन दसों जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाय। ज्ञापन की प्रतिलिपि परिशिष्ठ ब में संलग्न है

b) भारत सरकार की तरह उत्तरप्रदेश में भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये अलग-अलग आयोग गठित किया जाय और उसमें जनजाति/ अनुसूचित जाति को प्रतिनिधित्व दिया जाये।

c) जनजाति समुदाय के प्रतिनिधियों को सरकार में उपयुक्त प्रतिनिधित्व दिया जाए।

d) सरकारी नौकरियों में स्थानीय निकाय की आरक्षण पद्धति को लागू किया जाए।

e) देवरिया एवं उत्तरप्रदेश में सुगमता से शासन के निर्देशानुसार सभी जनपदों में जाति प्रमाण पत्र समयावधि में जारी हों।

f) अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र भारत सरकार के निर्धारित प्रपत्र में ही जारी किये जायें।

g) नायक जाति के फर्जी व्यक्तियों को जारी अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रमाण पत्र निरस्त किये जाये और जारी करने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की जाये।

h) आदिवासी बाहुल्य जिले देवरिया, बलिया, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी जनपद मुख्यालयों पर जनजाति छात्रों के लिये एक-एक छात्रावास निर्मित कराया जाये।

i) पूर्वांचल के सभी जनपदों में आवासीय तकनीकी विद्यालय, राजकीय आश्रम विद्यालय एवं छात्रावास तथ बुक बैंक की स्थापना की जाये।

j) भारत सरकार का आरक्ज्ञण कोटा 7.5 प्रतिशत है जबकि उत्तरप्रदेश में 2 प्रतिशत है बढाकर भारत सरकार के समान किया जाये।

k) आरक्षण व्यवस्था के अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग के कोटे को अन्य वर्गो से न भरा जाये।

(देवरिया में रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर आयोजित रैली में सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

13. कलेक्टर कार्यालय देवरिया में कलेक्टर देवरिया, समाज कल्याण अधिकारी, अतिरिक्त कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदारों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।

A. छात्रवृत्ति वितरित नहीं होने की समस्या पर कलेक्टर द्वारा बताया गया कि भारत सरकार से राशि कम प्राप्त हुई थी, जो राशि प्राप्त हुई है उस राशि को शीघ्र ही संबंधितों के खातों में जमा कर दी जायेगी। शेष राशि प्राप्ति के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

B. जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं करने, अनावश्यक दस्तावेजों की मांग, परिवार में किसी एक व्यक्ति का प्रमाण पत्र बना है तो परिवार के अन्य सदस्यों के प्रमाण पत्र उस आधार पर जारी नहीं करने की समस्याओं पर आयोग के निर्देश पर कलेक्टर द्वारा सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया गया कि इस प्रकार के अडंगें न लगाए जायें और नियमानुसार प्रमाणपत्र तत्काल जारी किये जाये, ऐसा नहीं करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही का प्रस्ताव आयोग को भेजा जायेगा।

C. आयोग में प्राप्त अपीलों पर प्रकरण वार समीक्षा की गई। श्री राजेश खरवार के प्रकरण में बताया गया कि उसका शिकायत का निराकरण कर दिया गया है।

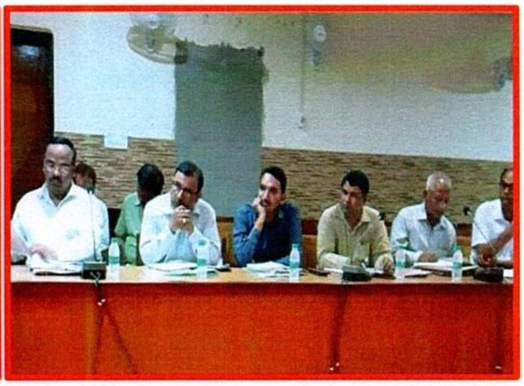

दिनाँक 25 जून 2019 गोरखपुर उत्तरप्रदेश

14. विश्राम भवन, गोरखपुर में निर्धारित कार्यक्रम अनुसार गोरखपुर, महाराजगंज, बस्ती और सिद्धार्थनगर के कलेक्टरों, समाज कल्याण अधिकारियों, अतिरिक्त कलेक्टरों, तहसीलदारों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जाति प्रमाणपत्र निर्गत नहीं होना, अनावश्यक विलंव, अवैधानिक रीति से बने हुए प्रमाणपत्र निरस्त करने, विधिवत स्थलीय जाँच नहीं करने के संबंध में आयोग में प्राप्त अपीलों, जन प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों एवं शिकायतों के आधार पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख रूप से निम्न लिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गई और आवश्यक निर्देश दिये गये :-

A. धुरिया जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाणपत्र निर्गत नहीं करने की समस्या। इस समस्या पर प्रादेशिक गोंड समाज महासभा उत्तरप्रदेश की ओर से श्री दुर्गाप्रसाद गोंड, श्री उमाशंकर गोंड, श्री राजमंगल गोंड, श्री रामअवध गोंड, श्री सतीशचन्द्र गोंड द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होंने उक्त बिन्दु 15 में प्रस्तुत तथ्यों को प्रस्तुत किया और तथ्यात्मक

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अभिलेखीय तथ्य प्रस्तुत किये।

B. नायक जाति की ओर से उनके प्रतिनिधियों श्री योगेन्द्र प्रसाद नायक, श्री शिवानन्द नायक, श्री राजन नायक एवं अन्य द्वारा जाति प्रमाणपत्र निर्गत नहीं किये जाने के संबंध में अपने तर्क एवं तथ्य तथा दस्तावेजी अभिलेखे एवं तथ्य प्रस्तुत किये और जाति प्रमाण पत्र के संबंध में अनुरोध किया गया।

C. जनजाति प्रतिनिधियों द्वारा यह भी कहा गया कि क्षेत्र एवं प्रदेश में तहसीलदार एवं लेखपाल कर रहे हैं जबकि उन्हें इसकी पात्रता नहीं है।

D. परिवार में किसी एक सदस्य का प्रमाणपत्र बना है तो भी अन्य सदस्यों के प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जा रहे हैं।

E. क्षेत्र एवं उत्तर प्रदेश में व्यवसाय के आधार पर जनजातियों के सदस्यों को राजस्व अभिलेखों में बिना किसी आधार के कहार जाति का लिख दिया गया है।

F. क्षेत्र में लेखपालों, तहसीलदारों, कलेक्टरों द्वारा कहा जाता है कि इस क्षेत्र में जनजाति नहीं है जबकि वर्ष 1891 की जनगणना में इस क्षेत्र में जनजाति के सदस्य होने का उल्लेख है।

G. स्थलीय जाँच के समय केवल जनजाति के सुस्थापित व्यक्तियों से ही जाँच की जानी चाहिए ताकि वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सके, जबकि जाँचकर्ता लेखपाल और तहसीलदार द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है।

H. जाति प्रमाणपत्र आवेदन निरस्त करते समय स्पष्टीकरण का उल्लेख नहीं किया जाता है। जो कि स्पष्ट किया जाना चाहिए।

I. समय पर प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होने की स्थिति में जनजाति युवाओं, छात्र-छात्राओं को शाला/महाविद्यालय में प्रवेश, शासकीय सेवा में कार्यभार ग्रहण करने में परेशानी हो रही है और उनका भविष्य प्रभावित होता है। इसलिये जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने में मानवीय दृष्टिकोण के साथ साथ समय सीमा का ध्यान रखने की भी महती आवश्यकता है जो कि नहीं हो रहा है।

(गोरखपुर में कलेक्टर गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर तथा अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में सुश्री अनुसुईया उइके,उपाध्यक्ष,रा.अ.ज.जा.आ.)

15. सभी पक्षों प्रतिनिधियों का पक्ष श्रवण करने, दस्तावेज अवलोकन करने और अधिकारियों के साथ बैठक के उपरांत स्पष्ट होता है कि :-

a. कुशीनगर, आजमगढ, बलिया, महाराजगंज, मउ, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अंबेडकर

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

नगर, मिर्जापुर, चंदौली, जौनपुर उत्तर प्रदेश विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में पात्र जनजाति सदस्यों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों और सबूतों के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर भी बिना किसी ठोस कारण के तहसीलदारों एवं लेखपालों द्वारा आवेदन पत्र निरस्त किये जा रहे हैं।

b. इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में उक्त जिलों के साथ ही साथ अन्य जिलों में भी जनजातियों परिवारों / सदस्यों के बने हुए जाति प्रमाण पत्र भी निरस्त किये जा रहे हैं, जबकि जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने का अधिकार तहसीलदार या लेखपाल को नहीं है। फर्जी जाति प्रमाणपत्र की शिकायत प्राप्त होने पर विभिन्न स्तरों पर गठित छानबीन समिति में इस बात का निर्धारण किया जाता है कि जाति प्रमाण पत्र सही है अथवा नहीं।

c. किसी परिवार के एक सदस्य अर्थात पिता, भाई, बहन या ब्लड रिलेटिव का जाति प्रमाणपत्र है तो भी उसके अन्य सदस्यों को भी जाति प्रमाणत्र जारी नहीं किया जा रहा है।

d. आवेदकों के आवेदन पत्र निरस्ती का स्पष्ट कारण नहीं लिखा जा रहा है। केवल हॉं लिखकर, कानूनगो की दस्तखत नहीं है, आधार लिखकर या केवल अपूर्ण लिखकर आवेदन निरस्त किये जा रहे हैं।

e. आजमगढ के लिपिक तथा बलिया के तहसीलदार द्वारा द्वेषभावनावश प्रमाण पत्र निरस्त करना और जनजाति के व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार करने की भी शिकायत है।

f. आयोग के लखनऊ प्रवास के समय जन जातियों के जाति प्रमाणपत्र निर्गत नहीं किये जाने की समस्या पर गंभीरतापूर्वक चर्चा की गई थी जिसमें मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश द्वारा आयोग को आश्वस्त किया गया था कि सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर नियमानुसार पात्र होने पर जाति प्रमाणपत्र बनाए जायेगें, किन्तु प्रवास के समय यह देखा गया है कि लेखपालों तथा तहसीलदारों द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होने के उपरांत भी जाति प्रमाणपत्र जारी नहीं किये जाकर अनावश्यक रूप से जनजाति सदस्यों को परेशान किया जा रहा है।

g. जाति प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में शासन के स्पष्ट निर्देश होने के उपरांत तथा मुख्य सचिव के निर्देश पर भी जनजातियों को जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं करना, जानबूझकर प्रताड़ित करने के समान है। ऐसी स्थिति में दोषी अनावश्यक कार्य को विलंवित करने वाले और जनजातियों को प्रताड़ित करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरूद्ध एट्रोसिटी एक्ट की धाराओं के अतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज करने की कार्यवाही की जा सकती है।

h. इस समय स्कूल कालेज प्रारंभ हो रहे हैं और बच्चों को प्रवेश तथा चयनित जनजाति सदस्यों को सेवा ग्रहण करने के समय जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है और

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

समय पर प्रमाण पत्र नहीं मिलने से उनका भविष्य अंधकारमय हो सकता है।

i. आरक्षित वर्ग की सूची में दर्ज नायक, धुरिया जनजाति के जाति प्रमाण पत्र के आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक कौनसा नायक या धुरिया है क्या वह वास्तव में जनजाति का है या अन्य है, इस बात की पुष्टि उपरांत जाति प्रमाण पत्र निर्गत या आवेदन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जानी चाहिए।

16. आमजनों, विभिन्न जनजाति संगठनों के पदाधिकारियों ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से भेंट कर अपनी समस्याओं के ज्ञापन भी प्रस्तुत किये जिन्हें कि आयोग में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किय गये हैं। प्राप्त अपील अभ्यावेदन की सूची परिशिष्ठ स में संलग्न हैं।

A.

6-	अनुवर्ती कार्यवाही किया गया एवं किसके द्वारा :	A. प्रतिवेदन के बिन्दु **क्रमांक 2 में वर्णित A से G** तक वर्णित समस्याओं पर संबंधित विभागों / उत्तरप्रदेश शासन से आवश्यक कार्यवाही की अनुशंसा की जाती है। B. प्रतिवेदन के बिन्दु **क्रमांक 7 में वर्णित** अभ्यावेदन का उत्तर प्रदेश का समाज कल्याण विभाग परीक्षण कर समुचित कार्यवाही निर्देश जारी करने की अनुशंसा की जाती है। C. प्रतिवेदन के बिन्दु **क्रमांक 11 में वर्णित A से E** में उल्लेखित समस्याओं पर संबंधित विभाग उत्तरप्रदेश शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की अनुशंसा की जाती है। D. प्रतिवेदन के बिन्दु **क्रमांक 12 में वर्णित A से K** में उल्लेखित समस्याओं एवं ज्ञापन पर संबंधित विभाग उत्तरप्रदेश शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की अनुशंसा की जाती है। E. कलेक्टर कार्यालय देवरिया में आयोजित जिला स्तरीय बैठक में लिये गये निर्णय एवं दिये गये निर्देशों के अनुसार कलेक्टर देवरिया कार्यवाही / पालन सुनिश्चित करें। F. विश्राम भवन गोरखपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में लिये गये निर्णय एवं दिये गये निर्देशों के अनुसार कलेक्टर गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, महाराजगंज कार्यवाही/पालन सुनिश्चित करें। G. प्रतिवेदन के बिन्दु **क्रमांक 15 में वर्णित A से I** पर उत्तर प्रदेश शासन, कलेक्टर गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, महाराजगंज तत्काल नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। H. उत्तरप्रदेश के जिलो में तहसीलदार एवं लेखपाल द्वारा पूर्व से बने हुए जाति प्रमाणपत्र निरस्त किये जा रहें जबकि इसका उन्हें अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश शासन आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। I. उत्तरप्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची में नायक भी शामिल हैं। प्रमाणपत्र जारी करते समय यह सुनिश्चित किये जाने कि आवश्यकता है कि वे कौन से नायक हैं जनजाति या अन्य वर्ग के हैं।

(सुश्री अनुसुईया उइके)
उपाध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार, नई दिल्ली
(दौरा करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi